

“ग्रामीण ऊर्जा साथी योजना 2022”

आवेदन सूचना

वर्तमान में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के ग्रामीण क्षेत्रों में Android Mobile आधारित फोटो स्पॉट विपत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है।

इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि सभी चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ऊर्जा साथी के माध्यम से विद्युत विपत्रीकरण एवं राजस्व वसूली का कार्य किया जाएगा। प्रथम चरण में 12 जिलों के अंतर्गत पड़ने वाले 23 विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल के कुल 1157 ग्राम पंचायतों के लिए ऊर्जा साथी का चुनाव किया जाएगा।

तदनुसार, संबंधित जिला के वैसे सभी इच्छुक व्यक्ति, जो दसवीं /मैट्रिक उत्तीर्ण है, वे स्वयं या जो ग्रामीण स्तरीय उद्यम (VLEs) / स्वयं सहायता समूह में कार्यरत व्यक्ति अथवा समूह या साईबर कैफे संचालक / मोबाईल दुकान संचालक या कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक (जिला क्षेत्रान्तर्गत), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विभिन्न विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डलों के अन्तर्गत पड़ने वाले कुल 1157 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण ऊर्जा साथी के कार्य के लिए संबंधित सहायक विद्युत अभियंता (AEE), विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल के कार्यालय में किसी भी कार्य-दिवस में जाकर आवेदन शुल्क 118 रूपया (GST सहित) जमा कर विहित प्रपत्र (Application Form) को भरकर दिनांक -25/08/2022 तक जमा कर सकते हैं।

ग्रामीण ऊर्जा साथी योजना 2022

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ग्रामीण ऊर्जा साथी योजना 2022 के अंतर्गत, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग एव राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हेतु ग्रामीण ऊर्जा साथी के रूप में Commission Based Agent का ग्राम पंचायतवार चयन करने जा रही है, जिसके तहत उस ग्राम पंचायत के शिक्षित (दसवीं उत्तीर्ण) स्थानीय अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण ऊर्जा साथी योजना 2022 के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य, अहर्ता, आवेदन प्रक्रिया, कार्य अवधि, पारिश्रमिक, प्रोत्साहन/जुर्माना एवं पारिश्रमिक भुगतान के नियम:-

1. कार्य की विवरणी:-

- (क) इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत / वितरण ट्रांसफरमर अथवा विद्युत आपूर्ति प्रशाखा स्तर पर विद्युत विपत्रीकरण एवं राजस्व वसूली का कार्य दिया जाएगा।
- (ख) एक ग्रामीण ऊर्जा साथी को अधिकतम 1500 उपभोक्ताओं के बिलिंग एवं E-Wallet/ M-POS के द्वारा राजस्व संग्रहण का कार्य दिया जाएगा।
- (ग) ग्रामीण ऊर्जा साथी उक्त कार्य हेतु मोबाईल (इंटरनेट सहित), ब्लूटूथ प्रिंटर या समतुल्य उपकरण एवं पेपर रोल की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
- (घ) ग्रामीण ऊर्जा साथी द्वारा राजस्व संग्रहण का कार्य ई वेलेट द्वारा किया जाएगा, जिसकी सुविधा मोबाईल पर निगम द्वारा दी जाएगी।

2. ग्रामीण ऊर्जा साथी की अहर्ता:-

- (क) संबंधित जिला के मैट्रिक/दसवीं पास व्यक्ति ऊर्जा साथी हेतु अपना आवेदन संबंधित सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- (ख) इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तरीय उपक्रम / स्वयं सहायता समूह में कार्यरत व्यक्ति अथवा स्थानीय गाँव में मोबाईल दुकान/साईबर कैफे/ इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने वाले व्यक्ति, जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता मैट्रिक /दसवीं पास है, भी ऊर्जा साथी हेतु आवेदन जमा कर सकते हैं।

3. आवेदन प्रक्रिया :-

- (क) उपरोक्त अहर्ता पूरा करने वाले इच्छुक प्रार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर अपने संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल कार्यालय में सहायक विद्युत अभियंता के पास जमा कर सकते हैं।
- (ख) आवेदन करने के साथ प्रार्थी को रू0 118/- की आवेदन शुल्क रोकड़ के रूप में उपरोक्त कार्यालय में जमा कराना होगा, जिसकी विवरणी आवेदन पत्र में उल्लेख करनी होगी।

4. चयन की प्रक्रिया :-

ग्रामीण ऊर्जा साथी का चयन ग्राम पंचायत से संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के द्वारा सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता से विमर्श कर किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति, तदुपरान्त अनुसूचित जाति एवं उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। किसी पंचायत के लिए एक से अधिक आवेदन आने के स्थिति में लॉटरी के माध्यम से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कार्य आवंटन से पहले विद्युत कार्यपालक अभियंता / सहायक विद्युत अभियंता / कनीय विद्युत अभियंता द्वारा आवेदन कर्ता की निर्धारित अहर्ता की जाँच की जाएगी।

5. कार्य की अवधि :-

- (1) कार्य की अवधि केवल 24 (चौबिस) बिलिंग माह होगा, और इसका विस्तार आपसी सहमति (Mutual Consent) से किया जा सकता है।
- (2) ग्रामीण ऊर्जा साथी को सभी सुरक्षा नियमों (भारतीय विद्युत नियम, 1956, विद्युत अधिनियम, 2003 में उल्लेखित) का पालन करना स्वीकार्य होगा। साथ ही झारखण्ड इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कोड-2015 में निहित नियमों एवं इसमें समय-समय पर हुए संशोधन का भी पालन करना होगा।

6. पारिश्रमिक :-

क्रमांक	कार्य का विवरण	पारिश्रमिक दर
1	कंपनी के वेब आधारित मोबाईल एप्प पर स्पोर्ट बिलिंग और मीटर रीडिंग की स्पष्ट छवि के साथ ब्लूटूथ प्रिंटर या अन्य किसी उपकरण के माध्यम से बिल निर्गत एवं वितरण करना।	रु0 6.39 प्रति उपभोक्ता प्रति माह + लागू टैक्स (यदि प्रभावी हो तो)। हर महिना उपभोक्ता को निर्गत कुल विपत्र का परिसर बंद (Premises Locked) पर अधिकतम 03 प्रतिशत विपत्र संख्या ही मान्य होगा और 03 प्रतिशत से अधिक परिसर बंद पर विपत्र बनने पर उसका भुगतान ग्रामीण ऊर्जा साथी को नहीं किया जाएगा।
2	राजस्व संग्रहण	क्षेत्र के उपभोक्ताओं से संग्रहित कर जमा की गई राशि का 3 प्रतिशत
3	मीटर का अधिष्ठापन/ प्रतिस्थापन/ स्थानांतरण- इस कार्य के लिए निगम द्वारा अलग से दिशा-निर्देश दिया जाएगा।	समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्धारित दरों पर।

7. प्रोत्साहन / जुर्माना :-

1.	प्रतिमाह बिलिंग कवरेज	प्रोत्साहन राशि
	स्पष्ट छवि के साथ ओके (OK) रीडिंग पर स्पोर्ट बिलिंग का कार्य करने पर	
	स्पोर्ट बिलिंग के लिए प्रोत्साहन 1. 70% से ऊपर और 80% से कम या बराबर 2. 80% से ऊपर और 90% से कम या बराबर 3. 90% से ऊपर	1. अतिरिक्त रु0 1 प्रति उपभोक्ता 2. अतिरिक्त रु0 1.5 प्रति उपभोक्ता 3. अतिरिक्त रु0 2 प्रति उपभोक्ता
2.	प्रतिमाह राजस्व संग्रह	प्रोत्साहन राशि
	राजस्व संग्रह के लिए प्रोत्साहन	
	1. प्रभावी उपभोक्ता के तुलना में भुगतान करने वाले (नेट डिमांड का पूर्ण भुगतान करने वाले) की संख्या 50 % से अधिक हो और कुल राशि कम्पनी	1. संग्रहित (आंशिक एवं सम्पूर्ण) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड खाते में जमा राशि का 3.5 %

	<p>के खाता में जमा किया गया है।</p> <p>2. प्रभावी उपभोक्ता के तुलना में भुगतेय उपभोक्ता (नेट डिमांड का पूर्ण भुगतान करने वाले) की संख्या 65 % से अधिक हो और कुल राशि कम्पनी के खाता में जमा किया गया है।</p> <p>3. प्रभावी उपभोक्ता के तुलना में भुगतेय उपभोक्ता (नेट डिमांड का पूर्ण भुगतान करने वाले) की संख्या 80 % से अधिक हो और कुल राशि कम्पनी के खाता में जमा किया गया है।</p> <p>4. प्रभावी उपभोक्ता के तुलना में भुगतेय उपभोक्ता (नेट डिमांड का पूर्ण भुगतान करने वाले) की संख्या 90 % से अधिक हो और कुल राशि कम्पनी के खाता में जमा किया गया है।</p>	<p>2. संग्रहित (आंशिक एवं सम्पूर्ण) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड खाते में जमा राशि का 4 %</p> <p>3. संग्रहित (आंशिक एवं सम्पूर्ण) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड खाते में जमा राशि का 4.5 %</p> <p>4. संग्रहित (आंशिक एवं सम्पूर्ण) और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड खाते में जमा राशि का 5 %</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	एकरारनामा की तारीख से 3 महीने के बाद दंड की राशि लागू होगी।	
	<p>ग्रामीण ऊर्जा साथी द्वारा मीटरों की प्राप्ति के तीन महीने बाद भी खराब मीटरों का बदलाव नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। (इस कार्य के लिए निगम द्वारा अलग से दिशा-निर्देश देने के उपरांत उक्त जुर्माना लगाया जायेगा)</p>	<p>उपभोक्ताओं का कुल विपत्रीकरण में मीटर दोष (Meter Defective) पर बिलिंग 5 % से अधिक रहने पर रू0 3.00 प्रति उपभोक्ता। यह जुर्माना तभी लगेगा जब ग्रामीण ऊर्जा साथी को बिलिंग के दिन से 15 दिन पहले तक, पर्याप्त मात्रा में मीटर बदलने हेतु हस्तगत कराया गया हो।</p>

8. पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया –

ग्रामीण ऊर्जा साथी द्वारा संग्रहण एवं कम्प्यूटराजाइज्ड बिलिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण ऊर्जा साथी का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शीघ्र करने हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुपालन होगा:-

- (1) संबंधित लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति अंचल भुगतान पदाधिकारी होंगे।
- (2) 75 प्रतिशत विपत्र का भुगतान सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल / कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा द्वारा ग्रामीण ऊर्जा साथी वार किये गये स्पॉट बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण की विवरणी अगले माह के तीसरी तारीख को (चार प्रति) में निर्गत करेंगे और विपत्र की राशि का शीघ्र भुगतान हेतु 3 प्रति में विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल को जाँच एवं सत्यापन के पश्चात भेजेंगे। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल उक्त विवरणी को Countersign कर उसे लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति अंचल को भुगतान हेतु भेजेंगे। जाँचोपरांत लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति अंचल वैधानिक कटौती (Statutory Deduction) करते हुए 75 प्रतिशत विपत्र का भुगतान विवरणी प्राप्ति के तिथि से तीन दिनों के अन्दर आर0टी0जी0एस0/बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से करेंगे। भुगतान में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर संबंधित लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति अंचल जवाबदेह होंगे।
- (3) शेष 25 प्रतिशत का भुगतान प्रावधानुसार दंड की राशि की कटौती के बाद 15 दिनों के अन्दर लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति अंचल द्वारा किया जाएगा। सहायक विद्युत अभियंता ग्रामीण ऊर्जा साथी वार दण्ड की राशि एवं इसके स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विपत्र विवरणी विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल को भेजेंगे। विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल उक्त विवरणी को Countersign कर उसे लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति अंचल को भुगतान हेतु भेजेंगे। जाँचोपरांत लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति अंचल, Statutory Deduction के पश्चात आर0टी0जी0एस0/बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से ऊर्जा साथी को भुगतान करेंगे।

9. परफोरमेंस सुरक्षा राशि (Performance Security)- चयनित ग्रामीण ऊर्जा साथी को

रू0 20,000 /- मात्र की राशि संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसका उपयोग E-Wallet के प्रारंभिक रिचार्ज के कार्य के लिए किया जाएगा।

10. **इकरारनामा**— चुने गये अभ्यर्थी को विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के साथ इकरारनामा करना होगा।
11. **निष्कासन** – ग्रामीण ऊर्जा साथी द्वारा उनके कार्यों से अगर निगम को हानि अथवा क्षति होती है अथवा ग्रामीण ऊर्जा साथी द्वारा आवंटित उपभोक्ताओं में से 50 प्रतिशत से कम स्पष्ट छवि के साथ ओके (OK) रीडिंग पर स्पॉट बिलिंग अथवा 50 प्रतिशत से कम उपभोक्ताओं से राजस्व संग्रहण, कार्य आवंटन के 03 माह के बाद कभी भी लगातार 03 (तीन) माह तक होने की स्थिति में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पास इकरारनामों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
12. **पहचान पत्र** – चयनित ग्रामीण ऊर्जा साथी को संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल द्वारा पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसे सिर्फ कार्य अवधि (Duty Hours) में ही उपयोग किया जाएगा।
13. अन्य शर्तें योजना से संबंधित निर्गत अधिसूचना के अनुसार मान्य होगी।

शपथ पत्र का प्रारूप
(रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर)
(नोटरी से प्रमाणित)
॥ शपथ पत्र ॥

नोटरी पब्लिक,
सिविल कोर्ट,

मैं शपथ कर्ता नाम-, पिता / पति-, आयु- वर्ष,
निवासी-, ग्राम-, डाकघर- पुलिस स्टेशन-,
जिला-..... ग्रामीण ऊर्जा साथी की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत शपथ करता / करती हूँ-

1. यह कि मैं उपरोक्त दर्शाए गये पते पर निवास करता / करती हूँ।
2. यह कि मैं स्थानीय ग्रामीण स्तरीय उद्यम (Village Level Enterprises) / स्वयं सहायता समूह जो ग्राम-.....
....., जिला-..... के सदस्य हूँ (उपयुक्त न हो तो ना भरे)
3. मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैं साईबर केफे/ मोबाईल की दुकान/ इलक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान
(का नाम) जो कि ग्राम-....., जिला-..... में स्थित है चलाता /
चलाती हूँ। (उपयुक्त न हो तो ना भरे)
4. प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैं अथवा मेरी एजेंसी / फर्म / कम्पनी / पंजीकृत संस्था, अगर है, किसी भी
राज्य विद्युत बोर्ड/ पावर सेक्टर यूटिलिटी/ राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / राज्य एवं केन्द्र सरकार के
उपक्रम द्वारा कभी भी काली सूची अथवा निषेध अथवा प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही मेरे अथवा
मेरी एजेंसी / फर्म / कम्पनी / पंजीकृत संस्था को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी या किसी प्रकरण में
अबतक संज्ञान लिया गया है। पुनः मेरे अथवा मेरी एजेंसी / फर्म / कम्पनी / पंजीकृत संस्था के विरुद्ध
पूर्ववर्ती झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड / झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा न्यायालय में किसी भी
तरह का वाद लंबित नहीं है।
5. प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैं ग्रामीण ऊर्जा साथी के कार्यकाल के दौरान अथवा उसके पश्चात कभी भी
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के समक्ष कभी भी स्थायी / अस्थायी / अनुबंध कर्मचारी के
नियुक्ति / नियोजन का दावा नहीं करूंगा / करूंगी।

हस्ताक्षर
शपथ कर्ता

सत्यापन-

मैं शपथ कर्ता नाम-, पिता / पति-, को सत्यापित करता हूँ
कि शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 01 से 05 तक के कथन मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है आज दिनांक ...
....., को स्थान में हस्ताक्षर कर सत्यापित कर दी/दिया।

स्थान -
दिनांक-

हस्ताक्षर
शपथ कर्ता

अनुलग्नक (ग)
ग्रामीण ऊर्जा साथी के निबंधन हेतु आवेदन पत्र
(आवेदक द्वारा भरा जायेगा)

1. ग्राम पंचायत का नाम :-
2. प्रखंड :-
3. जिला :-
4. विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल :-
5. विद्युत आपूर्ति प्रमंडल :-
6. आवेदक का नाम (आधार कार्ड के अनुसार) :-
7. आधार कार्ड संख्या (स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें) :-
8. पिता का नाम :-
9. स्थानीय निवास (Domicile) का जिला :-
10. स्वयं सहायक समूह (ग्रामीण स्तरीय उद्यम (VLE) का नाम (यदि आवेदन स्वयं सहायता समूह अथवा ग्रामीण स्तरीय उद्यमी द्वारा किया जा रहा हो) :-
11. साइबर कैफे/मोबाईल दुकान/कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान, आवेदक द्वारा संचालित की जा रही है,का नाम :-
12. स्थायी पता (निवास प्रमाण पत्र के अनुसार) :-
13. दूरभाष संख्या/मोबाईल नं० :-
14. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें) :-
15. आवेदन शुल्क की विवरणी :-
क) भुगतान राशि (नगद) :-
ख) राशि प्राप्ति संख्या एवं दिनांक :-
16. कभी राज्य विद्युत बोर्ड/बिजली क्षेत्र की कंपनियों/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/राज्य एवं केन्द्र सरकार के उपक्रमों द्वारा काली सूची/निष्कासित किया गया है अथवा नहीं :-
17. पूर्व में किसी न्यायालय में कोई मामला दर्ज किया गया है अथवा नहीं (यदि नहीं तो निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र जमा करें) :-
18. क्या योजना के सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं (हाँ/नहीं) :-

मुखिया अथवा सरकारी
स्कूल के प्रधानाचार्य
अथवा राजप्रतिष्ठित
अधिकारी द्वारा
सत्यापित फोटो लगाएँ

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

श्री/श्रीमती/सुश्री.....से विद्युत आपूर्ति प्रशाखा/विद्युत सब-स्टेशन/फीडर/ट्रांसफॉर्मर पंचायत
..... हेतु दिनांक.....को ऊर्जा साथी के रूप में निबंधन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
कार्यालय मोहर

नोट:- आवेदन प्रपत्र, चिन्हित जिला पंचायत की सूची एवं योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वेबसाईट- www.jbvn1.co.in अथवा निकटतम विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल (सब डिविजन), कार्यालय से सम्पर्क करें।

**Call Center 24 x 7
18003456570 / 18001238745
Centralised Complain NO. 1912**

ह0 /-
महाप्रबंधक (राजस्व)